प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।
प्रशा0 आदेश संख्या :199 /2020, दिनांक–08.10.2020

<u>आदेश</u>

जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), जनपद सम्भल का पत्र सं0–3291/कोविड–19/सूचना/2020–21 दिनांकित–07.10.2020 ई–मेल के माध्यम से दिनांक–07.10.2020 को रात्रि में 10.05 पी.एम. पर प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल की आख्या दिनांकित–07.10.2020 के आधार पर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2127/2020–सी0एक्स0–3, दिनांक– 03.10.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी को सैनेटाईजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घण्टे के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिए जाने का सुझाब दिया गया है। पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा जिलाधिकारी, सम्भल को प्रेषित पत्र दिनांकित–07.10.2020 की प्रति भी संलग्न की गयी है, जिसमें इस आशय का उल्लेख किया गया है कि दिनांक–07.10.2020 को श्री मदनपाल सिंह पुत्र श्री मल्लू सिंह की जांच रिपोर्ट (RT-PCR) कोविड 19 पॉजिटिव हेने की प्राप्त हुई। श्री मदनपाल सिंह न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(रेप केसेस एवं पॉक्सो एक्ट) सम्भल स्थित चन्दौसी में आशुलिपिक के पद पर कार्यरत् हैं।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03-06-2020 के अनुपालन में आज दिनांक–08.10.2020 को जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी परिसर पूर्ण सेनेटाईजेशन कराने हेतु बन्द रहेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–1298/LXXXVII/CPC-e/ Courts/Allahabad/Dated:28 July 2020 में उल्लिखित न्यायालयों द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक प्रकृति का कार्य अपने आवासीय कार्यालय से (JITSI) वीडियो कान्फ्रेंसिंग सोफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए, पूर्व की भॉति सम्पादित किया जायेगा तथा दिनांक–08.10.2020 को नियत अन्य वादों में संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा सामान्य तिथि नियत की जायेगी।

जिलाधिकारी, सम्भल एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल को जनपद न्यायालय परिसर की साफ–सफाई व सेनेटाईजेशन हेतु निर्देशित किया जाता है।

सभी सम्बन्धित को अनुपालन हेतु सूचित किया जाये तथा इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

A.K.Tripathi
(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण,
2 .जिलाधीकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल
5. अध्यक्ष/सचिव, चन्दौसी, बार एसोसिएशन, चन्दौसी(सम्भल)
6. अध्यक्ष/सचिव, व्यवहार एवं सत्र बार एसोसिएशन, चन्दौसी, जिला सम्भल,
7. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल,
8. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
9. अधीक्षक, जिला कारागार मुरादाबाद।

A.K.Tripathi
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।